सागरमल बनाम रामेश्वर मु.न. 37/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
17.6.25	पत्रावली पेश। दोनों पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.6.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
23.6.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ सीकर ★

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 37 / 2024

1 सागरमल पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार निवासी कुरबडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 रामेश्वर पुत्र माधा फौत
1/1 गोपीराम पुत्र रामेश्वर
1/2 किशन पुत्र रामेश्वर
1/3 शंकर पुत्र रामेश्वर
1/4 दिनेश पुत्र रामेश्वर
1/5 जितेन्द्र पुत्र रामेश्वर
1/6 विनोद पुत्र रामेश्वर
1/7 मंजू पुत्री रामेश्वर
1/8 बसन्ती पुत्री रामेश्वर
1/9 सुमन देवी पुत्री रामेश्वर
समस्त जाति कुम्हार निवासी कुरबडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

2 सांवलराम पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार निवासी कुरबडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

3 सपरती (पुत्री पतासी पत्नी मोतीराम) पत्नी सूण्डाराम जाति कुम्हार निवासी किशोरपुरा पोस्ट पोंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

4 घीसी पत्नी भगवान सहाय पुत्र मोतीराम

5 मदन पुत्र भगवान सहाय

6 कैलाश पुत्र भगवानसहायक
जाति कुम्हार निवासी कुरबडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

7 सुमन पुत्री भगवान सहाय पत्नी सुरेश जाति कुम्हार निवासी श्यामगढ़ गुरारा वाया खण्डेला जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 संतोष पुत्री भगवान सहाय पत्नी राजू जाति कुम्हार निवासी श्यामगढ़ (गुरारा) वाया खण्डेला जिला सीकर।
9 सुमित्रा पुत्री झाबर पत्नी टींकू जाति कुम्हार निवासी गिरावड़ी पोस्ट छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
10 आंची पुत्री झाबर पत्नी रामोतार जाति कुम्हार निवासी गिरावडी पोस्ट छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
11 कोयली पुत्री झाबर पत्नी रोहिताश जाति कुम्हार निवासी टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
12 ममता पुत्री झाबर पत्नी दाताराम जाति कुम्हार निवासी टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
13 कविता पुत्री झाबर पत्नी हजारी जाति कुम्हार सेवली पोस्ट गुरारा वाया खण्डेला जिला सीकर।
14 कौशल्या पत्नी बोदूराम पुत्र मोतीराम
15 सुभाष पुत्र बोदूराम
16 सचिन पुत्र बोदूराम
जाति कुम्हार निवासी कुरबडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
17 प्रतिभा पुत्री बोदूराम पत्नी दिनेश जाति कुम्हार निवासी भारूपुरा पोस्ट चिपटलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
18 सीमा पुत्री बोदूराम पत्नी सुनिल जाति कुम्हार निवासी मदनी वाया मण्ढा जिला सीकर।
19 श्रीमान तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर वर्तमान नीमकाथाना।
20 रीको औद्योगिक क्षेत्र नीमकाथाना जरिए सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर रीको लि. सीकर।

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.02.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला नीमकाथाना बउनवानी रामेश्वर बनाम सागरमल मु.नं. 670/2022 आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्त. अधि.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सुरेन्द्र सिंह खर्रा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 23/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 670/2022 में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 132, 133, 134, 135, वाके ग्राम नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना से जो रिपोर्ट मंगवाई गई है उसके अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा रिपोर्ट मौके पर जाकर नहीं बनाई गई क्योंकि उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की जाकर गिरदावर हल्का द्वारा तैयार की गई है जबकि मौका रिपोर्ट तहसीलदारजी स्वयं द्वारा बनाये जाने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर नहीं बनाई गई क्योंकि फर्द मौका रिपोर्ट पर किसी भी खातेदार के हस्ताक्षर नहीं है। मौका रिपोर्ट बनाने से पूर्व संबंधित पक्षकार को न तो कोई उपस्थिति हेतु नोटिस दिया गया तथा ना ही तहसीलदार स्वयं मौके पर गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता उसके खेत के दक्षिण दिशा में अवस्थित नदी में से होकर मौजूद है। कालांतर में उस स्थान पर नदी बहती थी परंतु वर्तमान में उक्त नदी की भूमि रास्ते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधि. पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

के रूप में अवस्थित है। जो रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 132, 135 व 134 से सटकर महज 50 मीटर दूरी से भी कम मीटर की दूरी है। धारा 251 ए की मंशा भी यही है कि सबसे निकटतम दूरी का रास्ता दिया जावे परंतु विचारण तहसीलदार ने धारा 251 ए के प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलान्ट की भूमि में से जो रास्ता दिया गया है उसकी दूरी काफी अधिक है। इसलिए भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के पास अपनी आजीविका का एकमात्र जरिया भूमि खसरा नम्बर 145 ही है। इसके अलावा आया का जरिया नहीं है, अगर अपीलान्ट के खेत में से होकर रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी की भूमि कम होकर आजीविका का स्त्रोत कम हो जायेगा। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व प्रकरण के निस्तारण में अपनायी जाने वाली प्रकियात्मक विधि के आदेशों को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, इसलिए भी अपीलाधीन आदेश प्रकियात्मक विधि के विपरित होने के कारण भी आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016(2) पेज 1281 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 251 ए में विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि आवेदनकर्ता को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत रास्ता निकटतम दूरी का है। खसरा नम्बर 132, 133, 134, 135 में वर्तमान में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 25.08.2023 एवं 14.09.2023 दोनों में समान अंकन किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर बाद सुनवाई विधिक प्रकिया अनुसार विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 251 ए में विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि आवेदनकर्ता को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत रास्ता निकटतम दूरी का है। खसरा नम्बर 132, 133, 134, 135 में वर्तमान में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 25.08.2023 एवं 14.09.2023 दोनों में समान अंकन किया गया है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शे के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 145 अप्रार्थीगण की खातेदारी में है किन्तु आवेदक के खेत खसरा नम्बर 132, 133, 134, 135 से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 145 में से रास्ता कायम किये जाने के पश्चात खसरा नम्बर 148 अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र की डामर सड़क से नहीं जुड़ता है। खसरा नम्बर 145 व 148 में अवस्थित सड़क के मध्य नक्शे आईएलआर द्वारा कच्चा रास्ता डोटेड लाल लाइन से अंकित किया हुआ है। स्पष्ट है कि रिको से आवेदक ने किसी प्रकार का अनुतोष अपने आवेदन में नहीं चाहा है। विचारण न्यायालय में रिको अप्रार्थी संख्या 20 के रूप में संयोजित हुआ है। विचारण न्यायालय में रिको ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि आवेदक ने खसरा नम्बर 145 से रास्ता चाहा है। रिको से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है, न ही आवेदक रिको से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में इस तथ्य पर कोई विवेचन नहीं किया है कि खसरा नम्बर 145 से रिको के खसरा नम्बर 148 में अवस्थित सड़क से जोड़ने के लिए रिको की भूमि में से रास्ता कायम करना आवश्यक है। रिको की भूमि में से कच्चा रास्ता बताकर आगे खातेदारी में रास्ता कायम करना विधि सम्मत है अथवा नहीं इस बिन्दु पर विवेचन किये बिना रिको से अनापत्ति लिये इस बिन्दु पर विवेचन किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक के खेत से कटानी रास्ते तक अवस्थित खसरा नम्बर के पक्षकार रिको के जवाबदेही प्राप्त कर उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार ग)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर (राजस्थान)